<u>**2020 का विधेयक सं.34**</u>

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 2020 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 21) की धारा 4 की उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ङ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घघ) लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में ऐसे व्यक्ति के आवागमन को प्रतिषिद्ध करना जिसका अपना मुंह और नाक फेस मास्क या फेस कवर से समुचित रूप से ढका हुआ नहीं है;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कोविड-19 एक ऐसा संक्रामक रोग है जिसका प्रकोप राजस्थान राज्य सहित सम्पूर्ण देश में तेजी से फैल रहा है। महामारी को विनियमित करने और उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम की धारा 4 यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार ऐसे अस्थायी विनियम या आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका पालन महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जनता द्वारा किया जाना है।

समूचे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह राय है कि मास्क का उपयोग कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है। राज्य सरकार का यह भी विचार है कि लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को प्रतिषिद्ध किये जाने का विनिश्चय किया है, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है।

तदनुसार, इस प्रभाव का एक नया खण्ड अन्त:स्थापित करके राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 21) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

4. महामारी के संबंध में विशेष उपाय करने और विनियम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति.- (1) XX XX XX XX XX

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगी और विनियम विनिर्दिष्ट कर सकेगी,-

(क) से (ग) XX XX XX XX XX

(घ) लोक और निजी परिवहन के प्रचालन पर निर्बंधन अधिरोपित करना;

(ङ) जनता द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए सामाजिक दूरी के मानक, या अन्य कोई अनुदेश, जो कि इस महामारी के कारण लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे जायें, विहित करना;

(च) से (ञ) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

<u>Bill No.34 of 2020</u>

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 21 of 2020.- In sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 (Act No. 21 of 2020), after the existing clause (d) and before the existing clause (e), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(dd) to prohibit the movement of any person in public place, public transport, private transport, work place or at any social, political, general function or gathering without properly covering his mouth and nose with face mask or face cover;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

COVID-19 an Infectious disease is so rapidly spreading throughout the country including the State of Rajasthan since its outbreak. In order to regulate and prevent epidemic diseases, the State Government enacted the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020. Section 4 of the Act provides that State Government may specify such temporary regulations or orders to be observed by the public to prevent the spread of epidemic disease.

Health experts all over the world are of the opinion that use of mask can help to control the spread of Covid-19 considerably and save the lives of millions. The State Government is also of the view that wearing mask should be made mandatory in public place, public transport, private transport, work place or at any social, political, general function or gathering and decided to prohibit movement of persons without wearing mask at such places.

Accordingly, section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 is proposed to be amended by inserting a new clause to this effect.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 (Act No. 21 of 2020)

XX XX XX XX XX

4. Power to take special measures and specify regulations as to epidemic disease.- (1) xx xx xx xx

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Government may take measures and specify regulations,-

(a) to (c) xx xx xx xx

(d) to impose restrictions on the operation of public and private transport;

(e) to prescribe social distancing norms or any other instructions for the public to observe that are considered necessary for public health and safety on account of the epidemic;

(f) to (j) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

Bill No. 34 of 2020

THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(**Ashok Gehlot**, **Minister-Incharge**)

<u>2020 का विधेयक सं.34</u>

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)